न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 22/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री गोविन्द सिंह पिता किशनसिंह खींची नि0 10/जी/32 तिलक नगर भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 13/04/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी , भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 21.03.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 06/02/2018 का एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 919046 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को डाक से भिजवाते हुए सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06/02/2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 28/03/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी नियत दिनांक 11.04.2018 को उपस्थित हुआ। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी , भीलवाड़ा के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 06.02.2018 में अंकित बिन्दु की सूचना अपने पत्रांक/रीडर/2018/1392 दिनांक 23.02.2018 से उपलब्ध कराई गई जिसमें यह अंकित किया कि सूचना से सम्बन्धित बिन्दु न्यायालय से सम्बन्धित होने से किसी भी प्रकार की सूचना उक्त अधिनियम के तहत नहीं दी जा सकती है। वैसेभी न्यायालय के किसी प्रकरण में आप पक्षकार नहीं हो तो बिना पक्षकार के किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से प्रतिलिपि प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। इस सम्बन्ध में दोनो पक्षों को सुना गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करा कर प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिया जो विधि विरूद्ध है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की सूचना किसी के भी द्वारा ली जा सकती है चाहे वह न्यायालय से सम्बन्धित हो या अन्य । न्यायालय में भी प्रकरण का निस्तारण कर दिए जाने पर वह सार्वजनिक हो जाता है ऐसी स्थिति में मुझ अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे। प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि द्वारा इस सम्बन्ध में निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई। इस सूचना से किसी प्रकार से सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं हो रहा है न ही अपीलार्थी का व्यक्तिगत हित प्रभावित हो रहा है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 06.02.2018 को प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा में जुलाई, 2017 से 06.02.2018 तक निर्णित प्रकरणों की सूची चाही गई। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के द्वारा आवेदन दिनांक 06.02.2018 से 30 दिवस के भीतर अर्थात दिनांक 23.02.2018 को अपीलार्थी को जवाब प्रेषित कर दिया गया जिसे स्वयं अपीलार्थी ने भी अपने आवेदन में स्वीकार किया फिर भी अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई परन्तु अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 06.02.2018 से सम्बन्धित सूचना की क्योंकर आवश्यकता है एवं किन नियमों के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है । इस सम्बन्ध में अपीलार्थी वक्त बहस स्पष्ट नहीं कर पाया न अपने अपील मीमों में इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया है । उक्त सूचना किसी भी तरह से किसी सार्वजनिक हित को प्रभावित नहीं करती है यहां तक कि स्वयं का भी कोई व्यक्तिगत हित प्रभावित नहीं हो रहा है । अर्थात वक्त बहस अपीलार्थी ने उक्त सूचना की आवश्यकता एवं औचित्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं किया। अतः प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के द्वारा सूचना अपने पत्रांक 1392 दिनांक 23.02.2018 से उपलब्ध कराई जाने की स्थिति में यह अपील सारहीन है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 13/04/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा